न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 17/329

1. भंवरी बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी श्री सत्यनारायण आयु 72 वर्ष जाति सुनार निवासी पुरानी कोतवाली के सामने, शीतला माता की गली वार्ड नं0 21, तहसील व जिला बून्दी ।
2. कैलाश बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी श्री मोहनलाल आयु 61 वर्ष जाति सुनार हाल विासी ग्राम बडौद तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर आत्मज मांगीलाल जाति सुनार निवासी पुरानी कोतवाली के सामने, शीतला माता की गली, वार्ड नं0 21 तहसील व जिला बून्दी ।
2. कृपाशंकर आत्मज कल्याण जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी गणेशपुरा पानी की टंकी के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. पुरूषोत्तम आत्मज कल्याण जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी गणेशपुरा पानी की टंकी के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 कल्याण पत्नी श्री गिर्राज प्रसाद जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. भरोसा बाई बेवा कल्याण जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी गणेशपुरा पानी की टंकी के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
6. बजरंग लाल आत्मज माधोलाल जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. कपूर चन्द आत्मज माधोलाल जाति सुनार निवासी ग्राम करवर, तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी चारभुजा के मंदिर के सामने ब्रह्मपुरी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
8. भंवर लाल आत्मज श्री गोपाल लाल जाति सुनार हाल निवासी रजतगृह कॉलोनी गेट नं0 06 बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
9. श्रीनाथ किशोर आत्मज गोपाल लाल जाति सुनार निवासी बून्दी रोड चौराहा गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
10. जगदीश आत्मज गोपाल लाल जाति सुनार निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
11. मुन्नी बाई बेवा पत्नी गोपाल लाल जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. राधा बाई पुत्री गोपाल लाल पत्नी श्री कैलाश चन्द जाति सुनार निवासी नाहर का चौहटा बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
13. कृष्णा पुत्री गोपाल लाल पत्नी हरिशंकर जाति सुनार निवासी चुंगी नाके के आगे वाली कॉलोनी नैनवा रोड बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
14. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुत्त जिला कलक्टर, बून्दी ।
15. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
16. श्रीयुत नायब तहसीलदार, उप तहसील करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
17. श्रीयुत उप पंजीयक करवर, उप तहसील करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

18. श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री माणकचन्द जैन जाति जैन निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 22.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53, 88 एवं 92 (क) के अन्तर्गत ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 1124 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1613 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 1615 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1616 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/9 हिस्सा बनता है उसे 1/9 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को बेचान, रहन व अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे तथा वादीगण को उसके कब्जे की भूमि से बेदखल नहीं किया जावे ।

3. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.06.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय एंव डिक्री जैर अपील पूर्णतया

आर्बिट्रेटरी रूप से जारी की गई है । उक्त पत्रावली में गत पेशी दिनांक 23.05.2017 वास्ते तलबी शेष पक्षकारान व जवाब दरख्वास्त आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी हेतु नियत थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी प्रकिया हेतु अगामी पेशी दिनांक 17.07.2017 नियत की गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को लोक अदालत के कोई भी नोटिस जारी किये बिना ही एवं अपीलान्ट/वादीगण को उक्त पत्रावली लोक अदालत में रखे जाने हेतु जानकारी दिये बगैर ही अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होने से, निरस्तनीय है । कानूनन लोक अदालत में केवल उन्हीं मामलो का निस्तारण किया जा सकता है जिनके लिए उभय पक्षों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया हो किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेश संचिका से ही यह स्पष्ट है कि उक्त वाद के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था और न ही पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा किया है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु भी कायम नहीं हुए हैं । जबकि विधि अनुसार दावा एंव जवाबदावा के आधार पर वाद में वाद–विवादक बिन्दु कायम होने चाहिए थे इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । कानूनन राजस्थान कोर्ट मेन्यूवल के अनुसार कोई भी निर्णय आदेशिका पर पारित नहीं किया जा सकता । आदेशिका पर पारित किया गया निर्णय पूर्णतया गलत, गैर कानूनी होने से संवहनीय नहीं है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के पिता मांगीलाल जी का 1/3 हिस्सा निहित व दर्ज है । मांगीलाल के देहावसान के पश्चात् उसके वारिस व उत्तराधिकारियों में उनके पुत्र रेस्पोडेन्ट कम 1 महावरी व दो पुत्रियॉ अपीलान्ट व पत्नी भूली बाई है और कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार मांगीलाल के देहावसान के पश्चात् मांगीलाल की उक्त 1/3 हिस्सा आराजी उनके पुत्र रेस्पोडेन्ट कम 1 महावीर व पत्नी भूली बाई के साथ–साथ उनकी अन्य विधिक वारिस व उत्तराधिकारी उनके पुत्रियों अपीलान्ट को भी प्राप्त हुई है और रेस्पाडेन्ट कम 1 द्वारा अपीलान्ट के मांगीलाल का वारिस होने के तथ्य को छुपाकर पूर्णतया बदनियति व बेईमानी पूर्वक राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर वादग्रस्त आराजी अकेले रेस्पोडेन्ट कम 1 स्वयं व माता भूली बाई के नाम दर्ज करवायी है और उक्त गलत व गैर कानूनी इन्द्राज से उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के 1/9–1/9 हिस्से पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता । कानूनन किसी सह खातेदार द्वारा कृषि आराजी में निहित अपने हक व अधिकारों का हक त्याग किसी रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के माध्यम से ही मान्य हो सकता है । कानूनन किसी शपथ पत्र के माध्यम से अथवा अपंजीकृत व नोटेरी शपथ पत्र के माध्यम से किसी सह खातेदार द्वारा अपने हक व अधिकार दूसरे सहखातेदार के पक्ष में हक त्याग नहीं किये जा सकते । कानूनन सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को किसी अनरजिस्टर्ड शपथ पत्र के आधार पर हक त्याग मानकर किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी को उसके हक अधिकारों से वंचित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को किसी अपंजीकृत शपथ पत्रों के आधार पर विद्यमान इन्द्राजों को परिवर्तित करने व कोई इंतकाल तस्दीक करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी रूप से बिना किसी आधार के ही सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी कोटा के यहॉ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर आराजी में अपीलान्ट के कानूनी हक हिस्से नजरअन्दाज करके रेस्पोडेन्ट का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने में त्रुटि की है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी सह खातेदार के हक अधिकार किसी हक त्याग पत्र के माध्यम से अंतरित किये जाने का प्रावधान ही नहीं है जिसके कारण उक्त तथाकथित शपथ पत्र के आधार पर अपीलान्ट को उनके कानूनी हक व अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के 2/9 हक हिस्से की वैधानिक खातेदार हैं और अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त शामलाती आराजी में उषा जैन भी बाद क्रय सहखातेदार दर्ज हुई है

इसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं थी । उषा जैन के सहखातेदार दर्ज होने की जानकारी अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा काउन्टर क्लेम व जवाब दावा पेश करने पर हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा उषा जैन को पक्षकार बनाये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी निर्णय पारित नहीं किया गया है । इस प्रकार प्रस्तुत वाद में उषा जैन को भी आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार के रूप में संयोजित किया जा रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 निरस्त फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 461, 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 664 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है । हिन्दू विधि में प्रचलित विधि प्रथा के मुताबिक अपीलान्ट के विवाह के वक्त ही अपीलान्ट के पिता मांगीलाल ने अपीलान्ट को उनके हकूक के बराकर की चल सम्पत्तियॉ दे दी थी जिसके बदले अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी सहित अपने पिता मांगीलाल जी समस्त चल अचल सम्पत्तियों में अपने हक त्याग दिये थे वादीगण अपने ससुराल में रह रही है । अपीलान्ट के पिता का वर्ष 1972 में देहावसान हो चुका है । अब अपीलान्ट का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अपीलान्ट ने दिनांक 08.08.1984 का लिखित शपथ पत्र नोटेरी से अनुप्रमाणित करवा कर मांगीलाल जी की ग्राम ढीबरी स्थिति कृषि भूमि सहित मांगीलाल जी की सम्पूर्ण भूमियों में अपने हक रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में समर्पित कर त्याग दिये जिससे अपीलान्ट एस्टोप्ड है । वादीगण अपीलान्ट का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार आधिपत्य नहीं होने से वादीगण के नाम का इन्द्राज पूर्ण अवैध अनाधिकृत व प्रभावशून्य एब इनिशियों वोइड होने से अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के पिता मांगीलाल की मृत्यु के उपरान्त इंतकाल नं0 1362 ग्राम करवर केवल रेस्पोडेन्ट कम 1 महावीर व माता भूली बाई के नाम दिनांक 21.04.97 को दर्ज किया गया जिसको दावा दायरी के वक्त तक चैलेंज नहीं किया है । अपीलान्ट वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है, ऐसी स्थिति में वादीगण अपीलान्ट का वाद मियाद बाहर होने से ही निरस्तनीय है और वादीगण अपीलान्ट अब खातेदारी अधिकार घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । अपीलान्ट वादीगण ने ग्राम ढीबरी तहसील पीपल्दा की आराजी जो महावीर व माता भूली के नाम उनके पिता/पति की मृत्यु के बाद दर्ज किया है उसे आज तक चैलेंज नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2016–17 आर.आर.टी. पेज 714 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के पिता मांगीलाल जी का 1/3 हिस्सा निहित व दर्ज था । अपीलान्ट के पिता मांगीलाल का वर्ष 1972 में देहावसान हो गया था । अपीलान्ट ने दिनांक 08.08.1984 का लिखित शपथ पत्र नोटेरी से अनुप्रमाणित करवा कर मांगीलाल जी की ग्राम ढीबरी स्थिति कृषि भूमि सहित मांगीलाल जी की सम्पूर्ण भूमियों में अपने हक रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में समर्पित कर त्याग दिये जिससे अपीलान्ट एस्टोप्ड है ।

प्रस्तुत प्रकरण में हिन्दू विधि में प्रचलित विधि प्रथा के मुताबिक अपीलान्ट के विवाह के वक्त ही अपीलान्ट के पिता मांगीलाल ने अपीलान्ट को उनके हकूक के बराकर की चल सम्पत्तियॉ दे दी थी जिसके बदले अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी सहित अपने पिता मांगीलाल जी समस्त चल अचल सम्पत्तियों में अपने हक त्याग दिये थे वादीगण अपने ससुराल में रह रही है । अपीलान्ट भंवरी बाई, कैलाशी बाई का शपथ पत्र दिनांक 08.08.1984 जिसका हमने अवलोकन किया । उक्त शपथ पत्र के मद नं0 1 में वर्णित है कि मेरे पिता मांगीलाल ने इतनी सम्पत्ति दे दी है कि अब मुझे उनकी चल–अचल सम्पत्ति में से कोई हिस्सा लेने की आवश्यकता नहीं है । अपीलान्ट ने दिनांक 08.08.1984 का लिखित शपथ पत्र नोटेरी से अनुप्रमाणित करवा कर मांगीलाल जी की ग्राम ढीबरी स्थिति कृषि भूमि सहित मांगीलाल जी की सम्पूर्ण भूमियों में अपने हक रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में हक कर त्याग दिये जिससे अपीलान्ट एस्टोप्ड है । वादीगण अपीलान्ट का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार आधिपत्य नहीं होने से वादीगण के नाम का इन्द्राज पूर्ण अवैध अनाधिकृत व प्रभावशून्य एब इनिशियों वोइड होने से अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के पिता मांगीलाल की मृत्यु के उपरान्त इंतकाल नं0 1362 ग्राम करवर केवल रेस्पोडेन्ट कम 1 महावीर व माता भूली बाई के नाम दिनांक 21.04.97 को दर्ज किया गया जिसको दावा दायरी के वक्त तक चैलेंज नहीं किया है । अपीलान्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 28.12.1972 व माता भूली बाई की मृत्यु दिनांक 17.08.2001 को हो चुकी है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में कानूनन हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है क्योंकि उस समय पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं था ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है, ऐसी स्थिति में वादीगण अपीलान्ट का वाद मियाद बाहर होने से ही निरस्तनीय है और वादीगण अपीलान्ट अब खातेदारी अधिकार घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी होना प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने सभी विवाद के बिन्दुओं का विवेचन करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

12. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 22.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/329

1. भंवरी बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी श्री सत्यनारायण आयु 72 वर्ष जाति सुनार निवासी पुरानी कोतवाली के सामने, शीतला माता की गली वार्ड नं0 21, तहसील व जिला बून्दी ।
2. कैलाश बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी श्री मोहनलाल आयु 61 वर्ष जाति सुनार हाल विासी ग्राम बडौद तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. महावीर आत्मज मांगीलाल जाति सुनार निवासी पुरानी कोतवाली के सामने, शीतला माता की गली, वार्ड नं0 21 तहसील व जिला बून्दी ।
2. कृपाशंकर आत्मज कल्याण जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी गणेशपुरा पानी की टंकी के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. पुरूषोत्तम आत्मज कल्याण जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी गणेशपुरा पानी की टंकी के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 कल्याण पत्नी श्री गिर्राज प्रसाद जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. भरोसा बाई बेवा कल्याण जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी गणेशपुरा पानी की टंकी के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
6. बजरंग लाल आत्मज माधोलाल जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. कपूर चन्द आत्मज माधोलाल जाति सुनार निवासी ग्राम करवर, तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी चारभुजा के मंदिर के सामने ब्रह्मपुरी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
8. भंवर लाल आत्मज श्री गोपाल लाल जाति सुनार हाल निवासी रजतगृह कॉलोनी गेट नं0 06 बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
9. श्रीनाथ किशोर आत्मज गोपाल लाल जाति सुनार निवासी बून्दी रोड चौराहा गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
10. जगदीश आत्मज गोपाल लाल जाति सुनार निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
11. मुन्नी बाई बेवा पत्नी गोपाल लाल जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

12. राधा बाई पुत्री गोपाल लाल पत्नी श्री कैलाश चन्द जाति सुनार निवासी नाहर का चौहटा बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
13. कृष्णा पुत्री गोपाल लाल पत्नी हरिशंकर जाति सुनार निवासी चुंगी नाके के आगे वाली कॉलोनी नैनवा रोड बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
14. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुत्त जिला कलक्टर, बून्दी ।
15. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
16. श्रीयुत नायब तहसीलदार, उप तहसील करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
17. श्रीयुत उप पंजीयक करवर, उप तहसील करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
18. श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री माणकचन्द जैन जाति जैन निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 22/दावा/2016

1. भंवरी बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी श्री सत्यनारायण आयु 72 वर्ष जाति सुनार निवासी पुरानी कोतवाली के सामने, शीतला माता की गली वार्ड नं0 21, तहसील व जिला बून्दी ।
2. कैलाश बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी श्री मोहनलाल आयु 61 वर्ष जाति सुनार हाल वासी ग्राम बडौद तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. महावीर आत्मज मांगीलाल जाति सुनार निवासी पुरानी कोतवाली के सामने, शीतला माता की गली, वार्ड नं0 21 तहसील व जिला बून्दी ।
2. कृपाशंकर आत्मज कल्याण जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी गणेशपुरा पानी की टंकी के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. पुरूषोत्तम आत्मज कल्याण जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी गणेशपुरा पानी की टंकी के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 कल्याण पत्नी श्री गिर्राज प्रसाद जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. भरोसा बाई बेवा कल्याण जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी गणेशपुरा पानी की टंकी के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
6. बजरंग लाल आत्मज माधोलाल जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

7. कपूर चन्द आत्मज माधोलाल जाति सुनार निवासी ग्राम करवर, तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी चारभुजा के मंदिर के सामने ब्रह्मपुरी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
8. भंवर लाल आत्मज श्री गोपाल लाल जाति सुनार हाल निवासी रजतगृह कॉलोनी गेट नं0 06 बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
9. श्रीनाथ किशोर आत्मज गोपाल लाल जाति सुनार निवासी बून्दी रोड चौराहा गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
10. जगदीश आत्मज गोपाल लाल जाति सुनार निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
11. मुन्नी बाई बेवा पत्नी गोपाल लाल जाति सुनार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. राधा बाई पुत्री गोपाल लाल पत्नी श्री कैलाश चन्द जाति सुनार निवासी नाहर का चौहटा बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
13. कृष्णा पुत्री गोपाल लाल पत्नी हरिशंकर जाति सुनार निवासी चुंगी नाके के आगे वाली कॉलोनी नैनवा रोड बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
14. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुत्त जिला कलक्टर, बून्दी ।
15. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
16. श्रीयुत नायब तहसीलदार, उप तहसील करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
17. श्रीयुत उप पंजीयक करवर, उप तहसील करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.06.2017 .की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 22.11.2017 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक उपस्थित आने पर यह आदेश दियां कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 22.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा